



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271775  
CG-DL-E-13042026-271775

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]  
No. 260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण  
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

फा. सं. 1/12/केविप्रा/डीपीएम/विनियमन/2025.— केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2026 के प्रकाशन हेतु, अधिसूचना संख्या फा. सं. 1/12/केविप्रा/डीपीएम/विनियमन/2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक अप्रैल 1, 2026 को प्रकाशित की गयी थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है. अर्थात्:-

- (क) पृष्ठ 2, पैराग्राफ 2, लाइन 13 पर, वाक्यांश "से अधिक" के स्थान पर वाक्यांश "या उससे कम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) पृष्ठ 2, सारणी, क्रमांक 5 में, वाक्य "650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज स्तर वाले उपभोक्ता को ओपन एक्सेस की अनुमति नहीं है।" के स्थान पर वाक्य "650 वोल्ट या उससे कम वोल्टेज स्तर वाले उपभोक्ता जिनको ओपन एक्सेस की अनुमति है।" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./29/2026-27]

**CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 10th April, 2026

**F. No. 1/12/CEA/DPM/Regulations/2025.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 177 of the Electricity Act, 2003, the Central Electricity Authority hereby makes the following corrections in the notification of the Central Electricity Authority number F No.1/12/CEA/DPM/Regulations/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 1<sup>st</sup> April, 2026, publishing the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Amendment Regulations, 2026, namely:—

- (a) At page 3, paragraph 3, line 1, the word “pentries” shall be substituted with the word “entries”.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./29/2026-27]